प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के दो भाग है।

भाग-कः राजस्व क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

भाग-खः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा जांच के परिणाम वर्णित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियां समझी जाने वाली कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 और 143 के साथ पठित नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधायिका के अंतर्गत संचालित की जाती है।

सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में, नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बन्ध में निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालन करने का अधिकार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के पास है। इन निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे वर्णित उदाहरण हैं जो वर्ष 2018-19 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। जहां कहीं अनिवार्य है। 2018-19 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी सम्मिलित किये गए है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।